No

संख्या–1181 /26–3–2011–01(ब0प्र0)/09–डी0पी0

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 19 अप्रैल , 2011

विषयः– डा0 अम्बेडकर ग्रामों में "डा0 अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्रों" का निर्माण किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि विगत वर्ष की भांति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में भी 2000 सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण डा0 अम्बेडकर ग्रामों में किया जाय। इन ग्रामों का चयन वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी वाले उन ग्रामों में से किया जायेगा, जिनकी कम से कम कुल आबादी 250 अथवा उससे अधिक हो। इस हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में उक्त ग्रामों की कुल संख्या के आधार पर आनुपातिक रूप से आवंटन किया गया है। जनपदों में इन केन्द्रों की न्यूनतम संख्या 10 तथा अधिकतम 92 निर्धारित की गयी है। निर्धारित केन्द्रों की जनपदवार संख्या संलग्न सूची में दी गयी है।

2– इन सामुदायिक केन्द्रो के लिए वर्ष 2011–12 में प्रश्नगत योजनान्तर्गत रू0 100.00 करोड़ का आय–व्ययक का प्राविधान किया गया है। विगत वर्षो की भांति मानक आगणन के अनुसार इन सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण की लागत रू0 16.39 लाख निर्धारित की गयी है। शेष धनराशि की व्यवस्था आवश्यकतानुसार बाद में की जायेगी।

3– सामुदायिक निर्माण केन्द्रों के निर्माण की समय–समय पर समीक्षा के फलस्वरूप यह अनुभव रहा है कि पिछले वर्ष 2010–11 में कतिपय जनपदों में जिलाधिकारियों द्वारा 03 या 04 यहां तक कि 05 कार्यदायी संस्थायें निर्धारित कर दी गयीं, जिसके कारण प्रथमतः जहां एक ओर अनुश्रवण में समस्यायें उत्पन्न हुई वहीं अनेक स्थानों पर गुणवत्ता भी अपेक्षित स्तर की नहीं पायी गयी। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी एजेंसीज यथा–पैक्सफैड, लेबर फेडरेशन व उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन, जिनका कि सभी जनपदों में अपना स्थायी कार्यालय/पर्याप्त तकनीकी स्टाफ भी नहीं है, उनको भी यह कार्य सौंप दिया गया, जिसके कारण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हुई। सम्प्रति प्रस्तावित 2000 सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण के संबंध में कार्यदायी संस्था के चयन हेतु पुनः संबंधित जिलाधिकारियों को प्रतिनिधायित किया जाता है, परन्तु केन्द्रों का निर्माण कार्य निम्न शर्तो के अधीन किया जायेगा :–

(1) सामान्यतः एक जनपद में अधिकतम दो कार्यदायी संस्थाओं का चयन किया जायेगा, परन्तु जिन जनपदों के क्षेत्रफल अधिक हैं अथवा सामुदायिक केन्द्रों की संख्या बहुत अधिक है, वहां विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 03 कार्यदायी संस्था का चयन किया जाय।

(2) जिलाधिकारी उसी कार्यदायी संस्था/संस्थाओं का चयन करेंगे, जिनका स्थानीय स्तर पर कार्यालय/तकनीकी स्टाफ स्थायी रूप से स्थापित होगा। साथ ही कार्यदायी संस्था की कार्यक्षमता, उसकी सामान्य ख्याति एवं अनुभव को विशेष प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

(3) यदि कार्यदायी संस्था शासकीय निर्माण एजेंसी है, तो उसे 12.5% सेन्टेज चार्जेज, जो डा0 अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण हेतु शासन द्वारा अनुमोदित डिजायन/ड्राइंग के अनुसार प्रति केन्द्र व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 16.39 लाख में सम्मिलित है, अनुमन्य नहीं होगा, जब तक कि शासन के द्वारा कोई अन्यथा आदेश पारित न किये गयें हों।

(4) निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्ध रूप से कार्य सम्पादित करने के लिए जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त का संयुक्त उत्तरदायित्व होगा।

कृपया उपर्युक्तानुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या–1181 (1)/26–3–2011 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/ग्राम्य विकास/कार्यक्रम कार्यान्वयन/डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास/पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0/निदेशक एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(बी0 बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव

शासनादेश संख्या- 1181 /26-3-2011 संख्या-39 जुलाई, 2011 का संलग्नक-

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक अनु0जाति/जनजाति की आबादी तथा 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामों के आधार पर जनपदों को अनुपातिक आवंटन

क्रम सं0	जनपद का नाम	2001 की जनगणना के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक अनु0जाति/जनजाति की आबादी वाले ग्राम	अनुपातिक आधार पर जनपद को आवंटित ग्राम	प्रस्तावित सामुदायिक केन्द्र
1	2	3	4	5
01	Saharanpur	167	41	41
02	Muzaffarnagar	39	9	10
03	Bijnor	295	72	72
04	Moradabad	136	33	33
05	Rampur	86	21	21
06	Jyotiba Phule Nagar *	69	17	17
07	Meerut	28	7	10
08	Baghpat *	1	1	1
09	Ghaziabad	25	6	10
10	Gautam Buddha Nagar *	20	5	10
11	Bulandshahar	91	22	22
12	Aligarh	79	19	19
13	Hathras *	88	21	21
14	Mathura	42	10	10
15	Agra	54	13	13
16	Firozabad	44	11	11
17	Etah	79	19	19
18	Mainpuri	33	8	10
19	Budaun	109	27	27
20	Bareilly	78	19	19
21	Pilibhit	61	15	15
22	Shahjahanpur	169	41	41
23	Kheri	266	65	65
24	Sitapur	510	**123**	92
25	Hardoi	416	**101**	92
26	Unnao	323	79	79
27	Lucknow	250	61	61
28	Rae Bareli	204	50	50
29	Farrukhabad	34	8	10
30	Kannauj *	33	8	10
31	Etawah	75	18	18
32	Auraiya *	108	26	26
33	Kanpur Dehat	81	20	20
34	Kanpur Nagar	76	19	19

क्र0 सं0	जनपद का नाम	2001 की जनगणना के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक अनु0जाति/जनजाति की आबादी वाले ग्राम	अनुपातिक आधार पर जनपद को आवंटित ग्राम	प्रस्तावित सामुदायिक केन्द्र
1	2	3	4	5
35	Jalaun	91	22	22
36	Jhansi	71	17	17
37	Lalitpur	46	11	11
38	Hamirpur	13	3	10
39	Mahoba *	21	5	10
40	Banda	23	6	10
41	Chitrakoot *	53	13	13
42	Fatehpur	98	24	24
43	Pratapgarh	71	17	17
44	Kaushambi *	149	36	36
45	Allahabad	189	46	46
46	Barabanki	203	49	49
47	Faizabad	68	17	17
48	Ambedkar Nagar *	121	29	29
49	Sultanpur	87	21	21
50	Bahraich	39	9	10
51	Shrawasti *	22	5	10
52	Balrampur *	25	6	10
53	Gonda	28	7	10
54	Siddharthnagar	46	11	11
55	Basti	103	25	25
56	Sant Kabir Nagar *	91	22	22
57	Mahrajganj	34	8	10
58	Gorakhpur	248	60	60
59	Kushinagar *	34	8	10
60	Deoria	62	15	15
61	Azamgarh	389	**95**	94
62	Mau	183	45	45
63	Ballia	70	17	17
64	Jaunpur	198	48	48
65	Ghazipur	215	52	52
66	Chandauli *	134	33	33
67	Varanasi	55	13	13
68	Sant RavidasNagar	87	21	21
69	Mirzapur	264	64	64
70	Sonbhadra	413	**101**	92
	योग	**8213**	**2000**	**2000**